08.11.2019

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश में प्याज के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि से उपभोक्ताओं को राहत दिलाए जाने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2019 से विभिन्न जनपदों में स्थित मण्डी समितियों में प्याज फुटकर बिक्री केन्द्र (रिटेल आउटलेट) स्थापित कराये गयें हैं, जिनके माध्यम से आम उपभोक्ताओं को थोक दर पर फुटकर में प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से मण्डी के फील्ड अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों की निरन्तर जॉच करते हुए निर्धारित स्टाक सीमा का उल्लघंन करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा प्याज की जमाखोरी किसी भी दशा में न होने पाए।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए है कि मण्डी परिसर में व्यापारियों व आढ़तियों से समन्वय कर उक्त मण्डी के थोक विक्रय दर पर ही रिटेल बिक्री केन्द्र खुलवाकर बिक्री करावे एवं उसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित करावें ताकि जनसाधारण को इसकी जानकारी हो सके कि अमुक स्थानों पर मण्डी द्वारा फुटकर ब्याज बिक्री आउटलेट खोले गए हैं।

वर्तमान तक मण्डी परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार दिनांक 08.11.2019 को कियाशील 193 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 95.33 कुन्तल प्याज का विक्रय किया गया है तथा वर्तमान तक आमजनों को सस्ती दरों पर 4359.29 कुन्तल प्याज का विक्रय किया जा चुका है।

8/11

अपर निदेशक (प्रशासन),
मण्डी परिषद।